

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2013—वैशाख 6, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्र. 997-2013-बत्तीस.—जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 जो विभाग की विज्ञप्ति 3816, दिनांक 8 दिसम्बर 1975 द्वारा प्रकाशित हुये हैं, व दिनांक 13 अगस्त 1991 को संशोधित हुये हैं, में निमांकित संशोधन करता है :—

उपयुक्त नियमों के नियम 7 के उपनियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन प्रत्यायोजित वित्तीय

शक्तियों के स्थान पर संलग्न उपाबन्ध प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

उपाबन्ध

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्यप्रदेश नियम, 1975 के नियम 7 के उपनियम (4) नियम 9 के उपनियम (6) तथा नियम 12 के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन :—

क्र.	शक्तियों की विशिष्टियाँ (1)	अध्यक्ष की शक्तियाँ (2)	सदस्य सचिव की शक्तियाँ (3)	बोर्ड की शक्तियाँ (4)	बोर्ड की शक्तियाँ (5)
1	यात्रा भत्ता बिलों तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करना।	अपने स्वयं के लिये तथा अन्य सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ तथा बोर्ड के अशासकीय सदस्यों के यात्रा भत्ता बिल। शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेंगे।	बोर्ड के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ। शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेंगे।	बोर्ड के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ। शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेंगे।	कुछ नहीं
2	बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राज्य के बाहर की यात्राओं की मंजूरी देना।	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ।	कुछ नहीं
3	प्रत्येक मामले में दौरे पर 10 दिन तक के विश्राम पर दैनिक भत्ते संदाय को सीमित करने वाले नियम से छूट प्रदान करना।	प्रथम श्रेणी अधिकारी के संबंध में 30 दिन तक सम्पूर्ण शक्तियाँ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में 15 दिन की अवधि के लिये पूर्ण शक्तियाँ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ। 30 दिन से अधिक तक की शक्तियाँ।	
4	अतिरिक्त धारित पद के न्यूनतम वेतन के 10 प्रतिशत से अनाधिक विशेष वेतन मंजूर करने की शक्ति।	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ।	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ।	कुछ नहीं
5(अ) आकस्मिक व्यय मंजूर करना		आवर्ती स्वरूप की मद के लिये रुपये 40,000/-।	आवर्ती स्वरूप की एकल मद के लिये रुपये 30,000/- तक तथा आवर्ती स्वरूप की मद के लिये रुपये 20,000/-।	आवर्ती स्वरूप की एकल मद के लिये रुपये 30,000/- तक तथा आवर्ती स्वरूप की मद के लिये रुपये 20,000/-।	पूर्ण शक्ति
(ब) दर अथवा भाव आमंत्रित किये बिना स्थानीय बाजार से छोटी-मोटी खरीदी।		—	एक समय में स्थानीय बाजार से किसी ऐसी एक वस्तु की खरीदी नगद रूप में कर सकेंगे जिसका मूल्य रुपये दस हजार से अधिक न हो, सदस्य सचिव अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना किसी भी ऐसी वस्तु का जिसका मूल्य रुपये दस हजार से अधिक हो नगद रूप में नहीं खरीद सकेंगे।	एक समय में स्थानीय बाजार से किसी ऐसी एक वस्तु की खरीदी नगद रूप में कर सकेंगे जिसका मूल्य रुपये दस हजार से अधिक न हो, सदस्य सचिव अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना किसी भी ऐसी वस्तु का जिसका मूल्य रुपये दस हजार से अधिक हो नगद रूप में नहीं खरीद सकेंगे।	कुछ नहीं
6	शो रूम, गैरेज, कार्यालय आदि के लिये भवनों को भाड़े पर लेना।	—	सम्पूर्ण शक्तियाँ	सम्पूर्ण शक्तियाँ	कुछ नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	लेखन सामग्री आदि की खरीद	—	सम्पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
8	पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं की खरीद.	—	सम्पूर्ण शक्तियाँ	कुछ नहीं
9	बेकार माल के बढ़टे खाते में डालना.	—	सम्पूर्ण शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
10	फर्नीचर खरीदना टेण्डर इत्यादि बुलाकर.	रुपये 5-10 लाख	रुपये पांच लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
11	सिविल निर्माण कार्यों के अनुमानों का अनुमोदन करना और उपकरणों की खरीदी.	रुपये 1 करोड़ से अधिक 2 करोड़ से कम.	रुपये 1 करोड़ से तक	पूर्ण शक्तियाँ
12	आहार-विहार आतिथ्य तथा बोर्ड के कार्यकलापों के संबंध में अन्य विविध मदों पर व्यय की मंजूरी.	एक बार में रुपये 2 लाख तक	एक बार में रुपये 1 लाख से तक.	पूर्ण शक्तियाँ
13	निविदाओं की स्वीकृति	रुपये 50 लाख से 1 करोड़	रुपये 50 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
14(क)	खुली निविदायें तथा एक से अधिक विधि मान्य निविदायें.	रुपये 50 लाख से 1 करोड़	रुपये 50 लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
(ख)	बातचीत द्वारा संविदाओं की स्वीकृति से एकल संविदा.	—	रुपये 3 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(ग)	आपातकाल के कारण निविदायें बुलाये बिना संविदाओं की स्वीकृति.	रुपये 2 लाख से 5 लाख तक	रुपये 2 लाख तक की शक्तियाँ। 2 लाख से 5 लाख अध्यक्ष की अनुमति से.	पूर्ण शक्तियाँ
(घ)	निम्नतम भाव के आधार पर खुली निविदाएं.	—	रुपये 2 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
(ङ)	जहां निम्नतम भावों वाली निविदायें स्वीकार न की जानी हो, वहां खुली निविदायें.	—	—	पूर्ण शक्तियाँ
(च)	कोटेशन के आधार पर सर्वे एवं अन्य कार्य.	—	रुपये 1 लाख तक की शक्तियाँ	पूर्ण शक्तियाँ
15	प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद	—	—	पूर्ण शक्तियाँ
16	विज्ञापन प्रभारी/मुद्रण प्रभारी को मंजूरी देना.	—	रुपये 25 हजार तक की शक्तियाँ। रुपये 50 हजार तक अध्यक्ष की अनुमति से.	पूर्ण शक्तियाँ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	सामग्रियों को अतिशेष तथा बेकार घोषित करना तथा उनके रक्षण पुनर विक्रय मूल्य नियम करना तथा उनके व्ययन का ढंग.	रुपये 5 से 10 लाख	रुपये 5 लाख	पूर्ण शक्तियाँ
18	खरीदी के मदों से भिन्न आपातकालीन निर्माण कार्यों के लिये व्यय.	रुपये 5 लाख	रुपये एक लाख तक	पूर्ण शक्तियाँ
19	हानियों को बट्टे खाते में डालने की मंजूरी देना :			
(क)	जो चोरी, कपट तथा प्रभाव के कारण न हुई हो.	रुपये 1 लाख	प्रत्येक मामले में रुपये 50 हजार	पूर्ण शक्तियाँ
(ख)	जांच के अध्ययन रहते हुये कपट या प्रमाद के कारण हुई हो.	रुपये 1 लाख	प्रत्येक मामले में रुपये 30 हजार	पूर्ण शक्तियाँ
20	रेल्वे द्वारा आंकलित विलम्ब शुल्क घाटा, भाड़ा की मंजूरी.	रुपये 50 हजार	एक समय में रुपये 25 हजार तक	पूर्ण शक्तियाँ
21	निधियों का विनिधान अथवा विनियोजन.	पूर्ण शक्तियाँ	रुपये 50 हजार	—
22	कर्मचारियों को अग्रिम का भुगतान:			
(क)	मोटर कार/मोटर साईकिल	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ.	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ.	कुछ नहीं
(ख)	भवन निर्माण	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिये पूर्ण शक्तियाँ.	द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण शक्तियाँ.	कुछ नहीं
(ग)	यात्रा भत्ता	बोर्ड के अशासकीय सदस्यों के लिये.	प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पूर्ण शक्तियाँ.	—
23	विज्ञापन प्रकाशन हेतु संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग को अग्रिम.	—	पूर्ण शक्तियाँ	—
24	सेमिनार, विज्ञान गोष्ठी, कार्यशाला आदि का किसी मान्यता प्राप्त संस्था/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के साथ आयोजन	रुपये 2 लाख	एक बार में रुपये 50 हजार	पूर्ण शक्तियाँ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों/ कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन.	—	सम्पूर्ण शक्तियाँ	कुछ नहीं
26	वार्षिक वेतन वृद्धियाँ मंजूर करने तथा रोक लेने की शक्तियाँ.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	कुछ नहीं
27	दक्षतारोध को पार करने की मंजूरी देने की शक्ति.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	कुछ नहीं
28	आकस्मिक अवकाश तथा विशेष आकस्मिक अवकाश मंजूर करना.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	कुछ नहीं
29	सभी प्रकार के अवकाश तथा सेवाकाल के भीतर अध्ययन अवकाश मंजूर करना.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	कुछ नहीं
30	वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने की शक्ति.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	कुछ नहीं
31	मध्यप्रदेश के बाहर के दोनों को सम्प्रलित करते हुये दौरा कार्यक्रमों का अनुमोदन.	प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में पूर्ण शक्तियाँ.	कुछ नहीं
32	गोपनीय रिपोर्टों को मंजूरी देना	प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के संबंध में स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी.	तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी.	कुछ नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सर्वसेना, उपसचिव.